राजस्थान राज–पत्र
साधारण

RAJASTHAN GAZETTE
Ordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

सत्यमेव जयते

श्रावण 25, गुरुवार, शाके 1929–अगस्त 16, 2007
Sravana 25, Thursday, Saka 1929–August 16, 2007

भाग 6 (क)
नगरपालिकाओं सम्बन्धी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 7, 2007

संख्या प.8 (च)(13)नियम/डीएलबी/07/5452:–नगर निगम जोधपुर में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 90 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) सपठित धारा 248 के अन्तर्गत नगर निगम जोधपुर (लघु यंत्रालय नियंत्रण) उपविधियां, 2007 बनाई है। उक्त नियमों को राजस्थान नगरपालिका की धारा 1959 की उप–धारा 90 (3) की शक्तियों को प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 6 (3)
नगर निगम, जोधपुर (लघु यंत्रालय नियंत्रण) उपविधियां, 2007

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 90 की उप–धारा (1) खण्ड (ख) सपठित धारा 248 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, जोधपुर एतद्द्वारा निम्नलिखित उपविधियां बनाती है, नामत :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रभाव**

(क) ये उपविधियां नगर निगम, जोधपुर की (लघु यंत्रालय नियंत्रण) उपविधियां 2007 कहलायेंगी।

(ख) ये उपविधियां नगर निगम, जोधपुर की सीमा में लागू होगी।

(ग) ये उपविधियां राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक माह बाद लागू होंगी।

2. **परिभाषाएं :**

जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अर्थ अपेक्षित न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शब्दों की परिभाषाएं निम्न प्रकार व्यवहृत होगी निम्नांकित शब्दों के अतिरिक्त इन उपविधियों में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा वहीं होगी जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 में व्यवहृत है।

(क) 'लाइसेंस' से तात्पर्य इन उपविधियों के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले लाइसेंस से है।
(ख) 'अनुज्ञा–प्राधिकारी' से तात्पर्य इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी से है।
(ग) 'अनुज्ञार्थी' से तात्पर्य इन उपविधियों के अंतर्गत अनुज्ञार्थी से है।
(घ) 'अनुज्ञाधारी' से तात्पर्य लाइसेंस के धारक से है।
(ङ) 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' से तात्पर्य नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है।
(च) 'महापौर' से तात्पर्य नगर निगम के महापौर से है जिसमें प्रशासक भी सम्मिलित है।
(छ) 'आयुक्त' से तात्पर्य नगर निगम के आयुक्त से है।
(ज) 'अभियन्ता' से तात्पर्य नगर निगम का अभियन्ता जिसमें अधिशासी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता सम्मिलत है अथवा निगम द्वारा मनोनीत कोई राज्य सेवा में कार्यरत अभियन्ता से है।
(झ) 'स्वास्थ्य अधिकारी' से तात्पर्य नगर निगम का स्वास्थ्य अधिकारी अथवा निगम द्वारा कोई मनोनीत कोई राज्य सेवा में कार्यरत स्वास्थ्य अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी से है।
(ट) 'निगम' से तात्पर्य नगर निगम, जोधपुर से है।

(ठ) 'परिशिष्ट' से तात्पर्य इन उपविधियों के अनुलग्न परिशिष्ट से है।

(ड) 'उपविधि' से तात्पर्य –नगर निगम, जोधपुर लघु यंत्रालय नियंत्रण उपविधियां सन् 2006 से है।

(ढ) 'यंत्रालय' से तात्पर्य लघु यंत्रालय से है जिसमें 9 या 9 से कम व्यक्ति बिजली, डीजल, पैट्रोल, भाप, गैस या इस प्रकार की अन्य शक्ति के जो परिशिष्ट की सारणी 'क' में अंकित है, कार्य करते हों।

(ण) 'वर्ष' से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है जो एक अप्रेल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त हो जावेगा।

3. **बिना लाइसेंस के स्थान का प्रयोग नहीं** :–कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस प्राप्त किये
(क) न तो किसी स्थान पर यंत्रालय लगायेगा, और
(ख) न लगे हुए यंत्रालय को चालू रखेगा।

4. **लाईसेंस के लिये प्रार्थना पत्र आदि** :–अनुज्ञार्थी लाईसेंस चाहने के कम से कम 30 दिन पूर्व :–

(क) परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' में आवश्यक और सही–सही ब्योरा देते हुए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ख) प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तावित यंत्रालय के नक्शे की (जिसमें स्थान की स्थिति, सीमा लगाई जाने वाली मशीन की स्थिति आदि का अंकन होगा) तीन प्रतियां (ब्ल्यू प्रिंट में) प्रस्तुत करेगा।

(ग) उपर्युक्त के अलावा अनुज्ञा अधिकारी जो भी जानकारी, ब्योरा आदि जिस रुप में भी जब भी निर्देशित करे, अनुज्ञार्थी निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करेगा।

5. **आपत्ति आमंत्रण** :–(क) उपर्युक्त उपविधि 4 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र आदि प्राप्त होने पर अनुज्ञा–प्राधिकारी परिशिष्ट के प्रपत्र 'ग' में नोटिस उक्त प्रस्तावित यंत्रों से प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों से आपत्ति आमंत्रित करेगा।

(ख) उक्त नोटिस की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड, एक निगम के सेनेटरी इन्स्पेक्टर के कार्यालय और दो प्रतियां प्रस्तावित यंत्रालय के निकट दृष्टि गोचर स्थानों पर लगायी जायेंगी।

6. **स्वास्थ्य अधिकारी की राय** :–(क) अनुज्ञा अधिकारी प्रार्थना पत्र, नक्शे, आपतियां आदि प्राप्त होने पर उक्त स्थान पर यंत्रालय के लिये लाईसेंस देने के औचित्य के संबंध में आवश्यक होने पर स्वास्थ्य अधिकारी की राय प्राप्त करेगा और स्वास्थ्य अधिकारी जितना शीघ्र संभव हो सके अपनी सकारण राय देगा।

(ख) स्वास्थ्य अधिकारी उक्त प्रयोजनार्थ स्थान की उपयुक्तता और लाईसेंस के औचित्य के संबंध में अपनी राय देते समय निम्न बातों पर भी विचार करेगा :–

(1) स्थानों और उस पर बनी इमारत में हवा, रोशनी की समुचित व्यवस्था।

(2) मशीन आदि के लग जाने पर कामगारों और ग्राहको के आवागमन और घूमने–फिरने के लिये पर्याप्त स्थान।

(3) आप–पास सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, कूड़ा–करकट आदि ऐसी दिशाओं में या समीप नहीं है जिससे कि यंत्रायल में गंदगी हो और उसका वातावरण दूषित हो।

(4) अन्य कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को दृष्टि में रख यंत्रालय के लिये लाइसेंस की मनाही की जाये।

(5) उपविधि 5 के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों का औचित्य।

(ग) स्वास्थ्य अधिकारी आवश्यक होने पर अनुज्ञार्थी से तथा उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकेगा।

(घ) स्वास्थ्य अधिकारी की अनुपस्थिति में संबंधित जोन का मुख्य सफाई निरीक्षक अथवा निगम द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी उक्त प्रयोजनार्थ अपनी राय देगा।

7. **अभियन्ता की राय** :–(क) अनुज्ञा अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी की राय प्राप्त होने पर समस्त पत्र आदि अभियन्ता के पास भेजे उक्त स्थान पर यंत्रालय के लिये लाइसेंस देने के औचित्य पर तकनीकी राय प्राप्त करेगा और अभियन्ता जितना शीघ्र संभव हो सके अपनी सकारण राय देगा।

(ख) अभियन्ता उक्त प्रयोजनार्थ स्थान की उपयुक्तता और लाइसेंस के औचित्य के संबंध में अपनी राय अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए देगा :–

1. स्थान पर इस प्रयोजनार्थ बनी इमारत यंत्रालय संचालनार्थ पर्याप्त रुप से सुदृढ है।

12. शुल्क :—लाइसेन्स जारी करते समय या उसका नवीनीकरण करते समय अनुज्ञाधारी द्वारा निम्नलिखित दर से शुल्क देय होगा :—

(क) यदि उस स्थान पर इस प्रयोजनार्थ प्रथम बार लाइसेंस जारी किया जा रहा है, तो यंत्रालय की मशीन के प्रति होर्स पॉवर पर 50/— रुपये मात्र की दर से निरीक्षण शुल्क।

(ख) लाइसेंस या उसके नवीनीकरण के लिये यंत्रालय की प्रत्येक मशीन/ईंजन या उसके अंश पर 100/— रुपये प्रतिवर्ष या उसके कालांश के लिये अनुज्ञा शुल्क।

(ग) लाइसेंस के हस्तांतरण पर यंत्रालय की प्रत्येक मशीन पर 50/— रुपये की दर से हस्तांतरण शुल्क।

(घ) निर्दिष्ट अवधि के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की विलम्ब अवधि के प्रतिदिन प्रति मशीन/ईंजन या उसके किसी अंश पर 10/— रुपये विलम्ब शुल्क।

13. दण्ड : (क) यदि कोइ व्यक्ति किसी उपविधि का उल्लंघन करे तो ऐसे उल्लंघन के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा की जा सकने वाली कार्यवाही तथा शुल्क वसूली के अन्य सभी अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उल्लंघनकर्ता पर सक्षम दण्ड नायक द्वारा 500/— रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा।

(ख) दोषसिद्धि के उपरान्त भी उल्लंघन निरन्तर रहने की अवधि में उल्लंघनकर्ता पर प्रतिदिन 10/— रुपये तक ही दर से निरन्तर जुर्माना किया जा सकेगा।

नगर निगम, जोधपुर (लघु यंत्रालय नियंत्रण) उपविधियां, 2007 के अन्तर्गत परिशिष्ट

(सारणी "क")

01. आटा, मसाला आदि पीसना।
02. चावल छिलाई एवं सफाई।
03. दालें दलना।
04. कपास ओहना।
05. गांठें बांधना।
06. लकडी चीरना।
07. तेल निकालना।
08. रूई पींजना।
09. सोने—चांदी के तार बनाना।
10. चमड—कपडे की वस्तुएं बनाना।
11. साबुन बनाना।
12. रंगाई, पॉलिश करना।
13. बर्तन बनाना।
14. मदिरा बनाना।
15. कपड़े धोना (मशीन द्वारा)
16. होजरी वस्त्र बनाना।
17. धागा बनाना।
18. सरिये, तार, कीलें, पाइप, गार्डर, जाली आदि बनाना।
19. डिकोपेन्ट, मोटर सर्विस करना, टायर रिट्रेडिंग करना।
20. बर्फ बनाना।
21. लोहा छीलना, ढालना।
22. मुद्रण (प्रिन्टींग करना)

2. मशीनों के चारो और ऐसी पर्याप्त सुरक्षा कर रखी है जिससे कि जान–माल को सामान्यतः कोई खतरा नहीं है।

3. अन्य कोई ऐसी बात नहीं जिससे कि पड़ोसियों के जानमाल की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए यंत्रायल के लिये लाईसेंस देने की मनाही की जाये।

8. अनुज्ञा प्राधिकारी का निर्णय :– (क) अनुज्ञा प्राधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और अभियन्ता की राय तथा अन्य सभी प्रासंगिक प्रश्नों पर जितना शीघ्र संभव हो सकें समुचित विचार कर अपना निर्णय सकारण देगा।

(ख) अनुज्ञा प्राधिकारी अतिरिक्त जानकारी राय, प्रमाण–पत्र आदि उपर्युक्त स्त्रोतों और व्यक्तियों से भी आवश्यक होने पर मांग सकेगा।

9 लाईसेंस की शर्तें :–(क) अनुज्ञा प्राधिकारी यदि लाईसेंस देने का निर्णय करे तो निम्नलिखित सामान्य शर्तों पर परिशिष्ट प्रपत्र 'घ' में लाइसेंस देगा :–

(1) अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस को कांच में जड़ाकर यंत्रालय सीमा में सहज गोचार स्थान पर और स्थिति में टांगे रखेगा।

(2) अनुज्ञाधारी नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी, अभियन्ता, राजस्व अधिकारी तथा इनके द्वारा किसी मामले में विशेष प्राधिकृत कर्मचारी तथा सेनेटरी एवं रेवेन्यू इन्स्पेक्टर के मांग करने पर रिकार्ड बतायेगा, आवश्यक जानकारी देगा और यंत्रालय के निरीक्षण की सुविधाएं देगा।

(3) अनुज्ञाधारी यंत्रालय में ऐसा किसी व्यक्ति को काम पर नहीं लगायेगा और नहीं करने देगा जो छुआछूत की बीमारी से पीड़ित हो।

(4) अनुज्ञाधारी यंत्रालय की परिधि को साफ सुथरा रखेगा।

(5) अनुज्ञाधारी यंत्रालय में केवल वही निर्माण व प्रक्रिया करेगा जिसके लिये कि यह लाईसेंस है। अन्य निर्माण व प्रक्रिया नहीं करेगा और न ही यंत्रालय परिधि में अन्य किसी प्रकार का व्यापार धन्धा करेगा तथा न ही मशीनों के हार्स पावर में कोई परिवर्तन करेगा।

(6) अनुज्ञाधारी ज्योंही यंत्रालय बंद कर दे तुरन्त ही ऐसा करने की लिखित सूचना अनुज्ञा प्राधिकारी को देगा।

(7) अनुज्ञाधारी यदि लाइसेंस की नवीनीकरण कराना चाहे तो लाइसेंस की अवधि की समाप्ति से पूर्व 30 दिन अवधि के भीतर–भीतर इस लाइसेंस का नवीनीकरण करायेगा।

(8) अनुज्ञाधारी उक्त अवधि के बाद नवीनकरण के लिये प्रार्थना–पत्र दे तो सामान्य लाइसेंस शुल्क के अलावा उपविधियों में निर्देशित दर से विलम्ब शुल्क भी देगा।

(9) अनुज्ञाधारी यदि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करे तो निगम अथवा अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस को निलंबित, रदद् या संशोधित किया जा सकेगा। सक्षम दण्डनायक के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर उपविधि संख्या 13 के उपबंधों के अनुसार दण्डित किया जा सकेगा।

(ख) अनुज्ञा प्राधिकारी उपर्युक्त सामान्य शर्तों के अलावा यंत्रालय के प्रयोजन, स्थिति विशेष आकार, उसके संचालन में प्रयुक्त ईंधन के प्रकार आदि बातों को दृष्टि में रखते हुए उक्त यंत्रालय और उसके द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्थान के प्रयोग के नियमनार्थ विशेष शर्ते भी लाइसेंस के साथ लगा सकेगा।

(ग) ऐसी विशिष्ट शर्तों से अनुज्ञार्थी को यदि एक बार लिखित रुप से सूचित कर दिया जावे तो वह अनुज्ञार्थी को दिये जाने वाल लाइसेंस में और उसके समय–समय पर नवीनीकरण किये जाने के रूप में अलग से अंकित न होने या होने पर भी इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ जब तक कि अन्यथा निर्देशन न किया जाये उक्त लाइसेंस और उसके नवीनीकरण रूप का अंग बनी हुई मानी जावेगी और मानी जाती रहेगी तथा उसका अनुपालन अनुज्ञाधारी पर उसी प्रकार बाध्य होगा जैसा कि लाइसेंस में लिखित किन्हीं शर्तो का।

10. लाईसेंस नवीनीकरण :–(क) अनुज्ञाधारी मूल लाइसेंस नगर निगम को लौटाते हुए अनुज्ञा के नवीनीकरणनार्थ परिशिष्ट के प्रपत्र "ङ" में प्रार्थना देगा।

(ख) अनुज्ञा प्राधिकारी नवीनीकरण के पूर्व यदि उचित और आवश्यक समझे तो यंत्रालय का निरीक्षण कर सकेगा या उसके सम्बन्ध में आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त कर सकेगा।

11. लाईसेंस की अवधि में निरीक्षण :–अनुज्ञाधारी लाइसेंस की शर्तो का समुचित अनुपालन कर रहा है। स्थान भवन, मशीनें आदि का समुचित रख, रखाव हो रहा है आदि बातों की देखभाल करते रहने के लिय अनुज्ञा प्राधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी, अभियन्ता, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक आदि लाइसेंस अवधि के दौरान यंत्रालय की निरीक्षण समय–समय पर जैसी भी स्थिति हो, करते रहेंगे।

घोषणा

मैं/हम अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के आधार पर घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी सही और पूर्ण है। इसमें कोई जानकारी असत्य पायी जाने पर अनुज्ञाप्राधिकारी को उपविधियों के अतर्गत आवश्यक कार्यवाही एवं निर्णय लेने का अधिकार होगा जिससे मैं/हम पाबंद रहूंगा/रहेंगे।

(घोषणाकर्ता)
अनुज्ञार्थी के हस्ताक्षर

नगर निगम, जोधपुर

(लघु यंत्रालय नियंत्रण) उपविधियां, 2007 के अंतर्गत

(प्रपत्र "ग")

नोटिस

आपत्ति आमन्त्रण

नगर निगम, जोधपुर (लघुयंत्रालय नियंत्रण) उप विधियां, 2006 की उपविधि–5 के अन्तर्गत यह नोटिस प्रसारित कर उन सभी व्यक्तियों को जो इस सम्बन्ध में प्रभावित हो सकते हैं, सूचित किया जाता है कि श्री .... निम्नलिखित ब्योरे वाले स्थान का निम्नलिखित प्रयोजनार्थ एक लघु यंत्रालय स्थापित और संचालन/संचालित करने के लिये नगर निगम, से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना चाहते हैं :–

(क) वार्ड नम्बर
(ख) मोहल्ला
(ग) मकान नम्बर

प्रयोजन ....

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार उक्त स्थान के लिये प्रयोग के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष इस नोटिस के प्रसारण से 7 दिन के भीतर–भीतर प्रस्तुत करें।

यह नोटिस आज .... को मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय मुद्रा सहित प्रसारित किया गया।

अनुज्ञा प्राधिकारी,
नगर निगम, जोधपुर।

कार्यालय मुद्रा

नगर निगम, जोधपुर

(प्रपत्र "घ")

लाइसेंस

नगर निगम, जोधपुर (लघुयंत्रालय नियंत्रण) उपविधिया, 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन यह लाइसेन्स दिया जाता है। :–

1. अनुज्ञाधारी का :–
   (क) नाम :–
   (ख) पूरा पता :–
   (ग) नगर
2. यंत्रालय के लिये प्रयुक्त होने वाले अनुज्ञप्त स्थान का पता :–
   (क) वार्ड नम्बर :–
   (ख) मोहल्ला
   (ग) मकान नम्बर :–
3. यंत्रालय में निर्मित होने वाली वस्तुओं, होने वाला कार्य/प्रक्रिया का ब्योरा:–
4. यंत्रालय के मशीन का ब्योरा:–
   (क) नाम :–
   (ख) मकान नं. :–
   (ग) निर्माता:–
   (घ) हॉर्स पॉवर :–
   (ड) चालन शक्ति :–
5. लाइसेन्स की अवधि:–दिनांक .... से दिनांक .... तक
6. शुल्क :–

23. वेल्डिंग करना।

24. फर्नीचर बनाना (लोहा व लकड़ी दोनों प्रकार के)

25. अन्य वस्तुओं का निर्माण या कार्य जो उपर अंकित न हो पाई हो।

नगर निगम, जोधपुर
(लघु यंत्रालय नियंत्रण) उपविधियां, 2007 के अंतर्गत
(प्रपत्र ; "ख")
आवेदन–पत्र

अनुज्ञा प्राधिकारी,
नगर निगम, जोधपुर

विषय :–यंत्रालय स्थापना के लिये स्थान प्रयोग की अनुज्ञा हेतु।

महोदय,

मैं/हम .... नगर निगम, जोधपुर की सीमा में एक लघु यंत्रालय स्थापना और संचालन के लिये निम्नलिखित स्थान का प्रयोग करना चाहता हूं/चाहते हैं।

1. अनुज्ञार्थी का :–
   (क) नाम व पिता का नाम :–
   (ख) पूरा पता :–
   (ग) नगर
2. यंत्रालय के लिये प्रयुक्त होने वाले स्थान का पता :–
   (क) वार्ड नम्बर :–
   (ख) मोहल्ला
   (ग) मकान नम्बर :–
3. स्थान के मालिक का :–
   (क) नाम :–
   (ख) पूरा पता :–
   (ग) नगर
4. यंत्रालय में निर्मित होने वाली वस्तु/होने वाली कार्य प्रक्रिया का ब्योरा :–
5. यंत्रालय की मशीन का ब्योरा :–
   (क) नाम
   (ख) निर्माता
   (ग) मशीन नं. :–
   (घ) हॉर्स पॉवर :–
   (ङ) चालन शक्ति :–
6. अन्य कोई विशेष बात :–
   सम्बधित नक्शे की तीन प्रतियां (ब्ल्यू प्रिंट) संलग्न है।

अतः .... नगर निगम, (लघु यंत्रालय उपविधियां सन् .... के अन्तर्गत जिन्हें मैंने/हमनें पढ़ा/पढ़वा लिया और समझ लिया है। उल्लिखित स्थान का यंत्रालय हेतु प्रयोग करने की कृपया अनुज्ञा दें।

संलग्न : नक्शों की तीन प्रतियां   अनुज्ञार्थी के हस्ताक्षर ....